

कार्यालय निर्वाची पदाधिकारी, 25-खगड़िया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

ज्ञापांक : 34 / दिनांक : 7/4/14

सेवा में,

अभ्यर्थी का नाम

कृष्णा कुमारी शर्मा

राष्ट्रीय जनता दल

विषय : नाम-निर्देशन के उपरान्त हस्तगत कराये गये कागजातों के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में नाम-निर्देशन के उपरान्त आपको निम्नलिखित कागजात हस्तगत कराये जा रहे हैं :-

1. नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की सूचना।
2. आदर्श आचार संहिता से संबंधित आयोग के मुख्य निर्देशों की प्रति।
3. निर्वाची पदाधिकारी द्वारा पृष्ठ सत्यापित व्यय लेखा पंजी
4. भारत निर्वाचन आयोग का व्यय लेखा अनुश्रवण निर्देश (हिन्दी में)
5. व्यय की अधिकतम सीमा (बिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 70 लाख) के संबंध में अधिसूचना की प्रति।
6. R.P Act की धारा 127 'A' की एक प्रति
7. प्रतीक आवंटन की सूचना।
8. निर्वाचन अभिकर्ता का नियुक्ति फार्म (2 प्रतियों में)
9. अभ्यर्थी का पहचान-पत्र फार्म (2 प्रतियों में)
10. अतिरिक्त निर्वाचन अभिकर्ता के नियुक्ति का फार्म (2 प्रतियों में)
11. अभ्यर्थी द्वारा नाम-निर्देशन पत्र के दाखिल करने के समय दिये गये कागजातों की प्राप्ति रसीद।
12. ~~Separate Bank Account~~ विवरणी नहीं देने पर दिये जाना वाला नोटिस।
13. अभ्यर्थी द्वारा व्यय किये जाने हेतु रेट चार्ट
14. ई0भी0एम0 विवरणिका (हिन्दी/अंग्रेजी)
15. फार्म 26 में कोई कॉलम खाली पाये जाने पर अभ्यर्थी को दिया जानेवाला नोटिस।
16. संबंधित मतदाता सूची की अभिप्रमाणित प्रति नहीं दिये जाने पर दिया जाने वाला नोटिस।
17. शपथ नहीं लिये जाने पर दिया जाने वाला नोटिस।
18. शपथ पत्र का प्रमाण-पत्र।
19. विशिष्ट/अति विशिष्ट कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक पार्टी/आयोजन के लिए क्या करें, क्या न करें के संबंध में निर्देश।
20. विधि उपबंध (IPC, 1860 की धारा 171 एवं R.P. Act 1951 की धारा 77 एवं 78 तथा सोशल मीडिया के इस्तेमाल के संबंध में अनुदेश)
21. दिनांक 12.04.2014 के शाम 04:00 बजे NIC खगड़िया में EVM के प्रथम रैन्डमाइजेशन एवं दिनांक 14.04.2014 को NIC खगड़िया में EVM के द्वितीय रैन्डमाइजेशन की सूचना।

एक प्रति पाया।
कृष्णा कुमारी शर्मा
7-4-14

निर्वाची पदाधिकारी,
25-खगड़िया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
अभ्यर्थी/प्रस्तावक का नाम

प्ररूप 2 क
(नियम 4 देखिए)
नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन
नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग 1

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए 25-2921 डि॥ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से
अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम कुलवीर कुमार 2169

पित्त/माता/पति का नाम 2169 उसका डाक

पता ग्राम - न्युक्वी, पंचसंगवली रोला, पो. मानसी

जि॥ 2921 डि॥ उसका नाम

25-2921 डि॥ संसदीय निर्वाचन - क्षेत्र (में समाविष्ट

2921 डि॥ विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 196

में क्रम सं० 240 पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम सुनील कुमार है जो 25-2921 डि॥

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट 151-519 डि॥ विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की

निर्वाचक नामावली के भाग संख्या 55 में क्रम सं० 755 पर प्रविष्ट है।

तारीख 7.4.2014

सुनील कुमार
प्रस्थापक का हस्ताक्षर

भाग 2

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए

..... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम

पिता/माता/पति का नाम.....

उसका डाक पता.....

उसका नामसंसदीय

निर्वाचन-क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक..... में क्रम संख्यांक..... पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे उस संसदीय निर्वाचक-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज हैं, और इस नाम निर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्र०	प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक			पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं०			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

कृपया ध्यान दें : प्रस्थापक के रूप में निर्वाचक-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

भाग 3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मैंने 39 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें)

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में २१ वीं जनता दल दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राय में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतिक मुझे, आवंटित किया जाए।

या

* (ii) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है, रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतिक चुने हैं वे अधिमान क्रम में

(i) (ii) (iii) हैं।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर (हिन्दी) (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

* मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं ** जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो राज्य के उस राज्य में के (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित ** जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में "" नाम निर्देशित नहीं किया गया और नही किया जाएगा।

कृष्णा कुमारी यादव
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

*जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़ दादरा और नागर हवेली, दमन और द्वीप तथा लक्षद्वीप की दशा में "में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र" शब्द काट दीजिए।

**यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

** लागू न हो वाले शब्द काट दीजिए।

जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़ दादरा और नागर हवेली, दमन और द्वीप तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें :- मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

